


<p>ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001, टेलि.सं.- 0124-4126285-86 फैक्स- 0124-4126261 ई-मेल- mbd@obc.co.in</p>	 <p>ओ.बी.सी.</p>	<p>Oriental Bank of Commerce (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) Merchant Banking Division, Corporate Office 1st Floor, Plot No.5, Institutional Area, Sector - 32 Gurgaon -122001 (Haryana) Tel.: 0124-4126285-86 Fax : 0124-4126261 E-mail: mbd@obc.co.in</p>
--	---	--

HO/MBD/2016

27.05.2016

The General Manager,
Dept. of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Mumbai-400001


Dear Sir,

Reg.: Notice of 22nd Annual General Meeting of the Bank

Further to our communication dated 25.05.2016, please find enclosed the Notice of 22nd Annual General Meeting of the Bank to be held on Thursday, 23rd June 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,


Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce

वार्षिक आम बैठक की सूचना

Notice for Annual General Meeting



सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार 23 जून, 2016 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: "31 मार्च, 2016 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।"

मद सं. 2: "वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।"

विशेष कारोबार

मद सं. 3: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से "ओबीसी विनियम" कहा जाएगा), तथा अन्य सभी लागू अधिनियम/कानून, किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/ विनियमन/दिशा-निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, बैंक के शेयरधारकों को एतद्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात् बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात् शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/या निर्गम के उस भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों पर लागू विधि

NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 23rd June 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2: "To declare dividend on equity shares for the financial year 2015-2016."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations"), and all other applicable Acts/Laws including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be

मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़/विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या/और/ या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमीयादी, या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को ₹1500 करोड़ तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।”

“संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम, सेबी विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/हामीदारों तथा/अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य/मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सुसंगत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार, अधिनियम के प्रावधानों, ओबीसी विनियम के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन (अंतरण या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी,

permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares; whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares and / or other permitted securities (which are capable of being converted into equity or not), may be issued for an amount not exceeding ₹1500 crore in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/others securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations, and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Act, the provisions of OBC Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999



स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) या ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृत (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में भारत सरकार का किसी भी समय इक्विटी शेयर 52% से कम न हो और जो आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (आईसीडीआर विनियम में परिभाषित) आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में :

- सेबी आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही आहर्ता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।
- सेबी आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुकरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बड़े पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।
- प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इश्यू आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, एनआरआई, एफआईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को इश्यू और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 (निर्धारित नियमों एवं विनियमों सहित) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू कुल सीमा के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।”

and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

- the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बँडके) विनियम 1988 यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतद्वारा सार्वजनिक निर्गम अधिकार निर्गम, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों / अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा बही संचालक (कों), अग्रणी प्रबन्धक (कों), बैंकर(ओं), हामीदार(ओं), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(ओं), लेखा परीक्षक(ओं) और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यों में शामिल हों या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य— निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों सलाहकारों और/या अन्य व्यक्तियों के साथ फार्म तथा इश्यू की शर्तें समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें इक्विटी अधिमानी / शेयर / प्रतिभूतियां आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित इक्विटी अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों / वारंट अधिकार / प्रतिभूतियों के भुगतान / रूपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या / अधिमानी शेयरों अथवा रूपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रद्द, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम / रूपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रूपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public issue, rights issue, qualified institutional placement including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/other securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity/preference shares/ securities are to be allotted, number of equity/preference shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings



एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे इक्विटी अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियां जो शेष रह गई हैं, उनके बारे में बोर्ड जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत् और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझे अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यकारी निदेशक/(ओं) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान: गुड़गांव
दिनांक: 11.05.2016

अनिमेष चौहान

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियां:-

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें मद सं. 3 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न हैं।

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फॉर्म कार्यालय समय की समाप्ति से पहले अर्थात् 18 जून, 2016 को शनिवार 5.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति) तक प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कॉरपोरेट निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष

on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these equity/preference shares / securities as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By the order of the Board of Directors

Place: Gurgaon
Date: 11.05.2016

ANIMESH CHAUHAN
Managing Director & CEO

NOTES:-

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.3 is annexed hereto.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office or Corporate Office of the Bank not less than 4 days before AGM, on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Saturday, the 18th June, 2016. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of any Company which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the



द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया हो, द्वारा सत्यापित न कर दी गयी हो, बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले अर्थात् 18 जून, 2016 को शनिवार 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र—सह मतपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची—सह—प्रवेश पत्र—सह—मतपत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची—सह—प्रवेश पत्र पर "प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि" लिखेंगे। ऐसे प्रवेश पत्रों को मतपत्र लेने हेतु दे दिया जायेगा।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के बैठक में भाग लेने एवं घोषित लाभांश प्राप्त करने हेतु योग्यता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 17 जून, 2016 से 23 जून, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

5. लाभांश का भुगतान

जैसा कि बोर्ड ने संस्तुति की है, यदि वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया, तो उसका भुगतान 15 जुलाई, 2016 को किया जाएगा। लाभांश वारंट उन शेयरधारकों को डाक द्वारा भेजे जाएंगे जिनके विवरण बैंक में दर्ज नहीं है जिनके बैंक खाता विवरण बैंक के पास उपलब्ध है, उन्हें लाभांश की राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा की जाएगी।

6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2008-09 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) लिंक इंडाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

अधिनियम की धारा 10ख के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् बैंक अथवा आईईपीएफ के लिए भुगतान हेतु कोई दावा नहीं रहेगा।

(वर्ष 2008-09 से संबंधित ऐसे अप्रदत्त/अदावित लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में 29.07.2016 को अंतरित कर दिया जाएगा। सभी संबंधित शेयरधारकों को यह अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे गए हैं कि वे अपने दावे 20.07.2016 तक भेज दें (सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। यदि दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते के बकाया शेष को आईईपीएफ खाते

meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Saturday, the 18th June, 2016.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books will remain closed from 17th June 2016 to 23rd June 2016 (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on 15th July 2016. The dividend warrants would be dispatched to those shareholders whose Bank details are not registered with the Bank while dividend amount will be credited through electronic mode by the Bank to those whose Bank details are available.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2008-09 are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for issue of duplicate dividend warrant.

As per the provisions of Section 10B of the Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

(The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2008-09 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 29.07.2016 as per Govt. of India guidelines. Reminder letters have been sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 20.07.2016 (list available on Bank's website). If not claimed, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect



में अंतरित कर दिया जाएगा और तत्पश्चात इस संबंध में मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों के लिए कोई दावा शेष नहीं माना जाएगा।)

7. मताधिकार

अधिनियम के अनुच्छेद 3(2इ) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त के अध्यक्षीन, शेयर धारक के रूप में 16 जून, 2016 (रिमोट ई-वोटिंग एवं मतपत्र के द्वारा मतदान दोनों के लिए शेयरधारकों के मताधिकार के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि) तक अथवा उससे पहले पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

ओबीसी विनियम के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

- I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 तथा सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए सहमत हैं ताकि प्रदत्त ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से व्यवसायिक संव्यवहार की प्रक्रिया को सम्पन्न किया जा सके। सदस्यों को (रिमोट ई-वोटिंग हेतु) एजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मतदान करने की सुविधा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- II. एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान देने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का उपयोग नहीं किया है वे बैठक में मतपत्र द्वारा अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
- III. सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदान कर दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग 19 जून, 2016 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर 22 जून, 2016 को (सांय 5:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि में 16 जून 2016 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक सदस्य अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद सदस्य को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

thereof shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions.)

7. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on or before 16th June, 2016 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by Ballot Paper at the venue of the AGM) shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Voting through electronic means

- I. In compliance with provisions of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Bank is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on 19th June, 2016 (9:00 am) and ends on 22nd June 2016 (5:00 pm). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 16th June 2016, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

- V. ई-वोटिंग की पद्धति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है :-
- क. किसी सदस्य को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होने पर (वे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है) :
- (i) अपनी क्लाइंट आईडी या पासवर्ड के रूप में फोलियो नंबर से ई-मेल एवं पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात रिमोट ई-वोटिंग पीडीएफ। रिमोट वोटिंग के लिए इस पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन दिया गया है। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।
- (ii) यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र चलाएं।
- (iii) शेयरहोल्डर – लॉगिन पर क्लिक करें।
- (iv) यूजर आईडी एवं पासवर्ड को हस्ताक्षर पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करें/पिन को उपरोक्त स्टेप (1) के अनुसार नोट किया जाए। लॉगिन को क्लिक करें।
- (v) आपको पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखेगा। पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड/पिन से बदलें जो कम से कम 8 अंकों/शब्दों का हो या मिले जुले स्वरूप का हो। नए पासवर्ड को नोट करें। परामर्श है कि आप पासवर्ड किसी को न बताएं, किसी से शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गुप्त रखें।
- (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होमपेज खुल जाने पर रिमोट ई-वोटिंग पर क्लिक करें : वोटिंग चक्र प्रारम्भ हो जाएगा।
- (vii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स "EVEN" का चयन करें।
- (viii) जैसे ही कास्ट वोट पेज खुलता है आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- (ix) सही विकल्प चुनते हुए आप वोट दे सकते हैं तथा प्रॉम्प्ट होते ही सबमिट पर क्लिक कर "कनफर्म" भी कर सकते हैं।
- (x) पुष्टि होने पर, वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है पटल पर दिखेगा।
- (xi) संकल्प पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद आपको वोट में संशोधन कि अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xii) संस्थागत शेयरधारक (जैसे, वैयक्तिक के अतिरिक्त, एच.यू.एफ., एन.आर.आई इत्यादि) जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी पत्र इत्यादि स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) के साथ अपने सत्यापित नमूना, हस्ताक्षर के साथ जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से विधिवत अधिकृत हो वे अंकेक्षक के माध्यम से ई-मेल nitesh@indiacp.com तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in को तदोनुरूप प्रेषित करें।
- (ख) किसी सदस्य को वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रति प्राप्त होने पर वे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक के आरटीए/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत है अथवा भौतिक प्रति का अनुरोध हो,
- (l) प्रारंभिक पासवर्ड इस रिपोर्ट के साथ सलग्न पृथक शीट पर दिया गया है।
- V. The process and manner for remote e-voting are as under:
- A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank's RTA/Depository Participants(s)]:
- (i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
- (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (iii) Click on Shareholder - Login
- (iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
- (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
- (vii) Select "EVEN" of "ORIENTAL BANK OF COMMERCE".
- (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
- (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- (x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to simultaneously send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to nitesh@indiacp.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- B. In case a Member receives physical copy of the Notice of AGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank's RTA/Depository Participants(s) or requesting physical copy]:
- (l) Initial password is provided on the separate sheet annexed to this report.



EVEN (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर) यूजर आईडी पासवर्ड / पिन

- (ii) कृपया उपरोक्त क्र.सं. (ii) से क्र.सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें और मतदान करें।
- VI. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।
- VII. यदि आप पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन का प्रयोग कर सकते हैं।
- VIII. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं, जिसे भविष्य में पत्राचार हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- IX. सदस्यों के मताधिकार, 16 जून, 2016 को अंतिम तारीख के अनुसार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। जोकि केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कुल मताधिकार का अधिकतम 10% तक होगा।
- X. कोई भी व्यक्ति, जो बैंक के शेयरों को अर्जित किया है तथा सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तारीख अर्थात् 16 जून, 2016 के अनुसार शेयरों को रखता है तो वे evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के आरटीए, लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

तथापि, यदि आप पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन "Forgot User Details/Password" के द्वारा रिसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के टॉल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

- XI. सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है परंतु वार्षिक आम बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- XII. सदस्य, जिनका नाम निर्दिष्ट तारीख को सदस्यों की रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभग्राही मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ-साथ मतदान पत्र के द्वारा वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- XIII. मैसर्स पीआई एसोसिएट्स के कार्यरत कंपनी सचिव श्री नितेश नतवाल (सीपी सं. 16276) को अंकेक्षक (स्क्यूटेनाइजर) नियुक्त किया गया है जो बैंक के सदस्यों को वोटिंग अंकेक्षण तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- XIV. वार्षिक आम बैठक में संकल्पों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना वोट नहीं दिया है, अंकेक्षक की सहायता से मतपत्र द्वारा वोटिंग की अनुमति देंगे।

EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID PASSWORD/PIN

- (ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.
- VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IX. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 16th June, 2016, subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Govt.
- X. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 16th June 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or the Bank's RTA, Link Intime India Pvt. Ltd at delhi@linkintime.co.in.

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

- XI. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- XII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- XIII. Mr. Nitesh Natwal (C.P No. 16276) Practising Company Secretary of PI & Associates, has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIV. The Chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM

XV. आम बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद अंकेक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे तथा जिसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्षियों जो बैंक द्वारा नियोजित न हों के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को खोलेंगे तथा एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष या विरोध, यदि कोई हो, में डाले गए कुल वोटों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।

XVI. अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों को घोषित कर दिए जाने के बाद घोषित परिणामों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ तत्काल बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं एनएसडीएल की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा इन परिणामों को तत्काल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एवं बीएसई लिमिटेड, मुंबई को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा।

मद संख्या – 3 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

पूँजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

बैंक बैंकिंग एवं संबंधित गतिविधियों का कारोबार कर रहा है। भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयरों के आबंटन के बाद इस समय बैंक की अधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹346.17 करोड़ है (31 मार्च, 2016 को बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹321.40 करोड़ थी)।

बासेल-III पूँजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं दीर्घ कालिक स्रोतों को पूँजी प्रदान करने के लिए एवं मंडल के निर्णयानुसार सामान्य ऋण प्रदान करने हेतु बैंक अपनी पूँजी पर्याप्तता को बेहतर करने और बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है।

सेबी के अध्याय VIII आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, विशेष संकल्प की वैधता एक वर्ष की है। बाजार के रुझान को देखते हुए, बैंक मई, 2017 तक उपर्युक्त किसी भी अनुमत्य मोड के माध्यम से इक्विटी पूँजी जुटा सकता है।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुपालन में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपाति आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं। यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

पब्लिक ऑफर, राईट्स इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों को बनाने, प्रस्ताव, आबंटन करने के लिए प्रस्तावित विशेष संकल्प के सदस्यों से बिना किसी अगले अनुमोदन की आवश्यकता के निदेशक मंडल (बोर्ड) हेतु बैंक के सदस्यों के प्राधिकरण को सक्रिय करना।

इसके अतिरिक्त, यह संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह सेबी आईसीडीआर विनियमों द्वारा यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत

but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XVI. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Limited, Mumbai.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.3

Capital Raising Programme of the Bank

The Bank is in the business of the banking and related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹346.17 crore after Preferential allotment of shares to Government of India and LIC of India (Paid-up capital of the Bank as on 31st March 2016 was ₹321.40 crore).

In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.

In terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, the validity of the special resolution is one year. In view of the prevailing market sentiments, the Bank may raise equity capital through any of the aforementioned modes upto May 2017.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Members, to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Qualified Institutional Placement.

The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with



खरीदारों के साथ अहर्ता प्राप्त संस्थागत रथानन लाए। निदेशक मंडल अपने विवेकानुसार बैंक की निधियां जुटाने के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय viii के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिसके लिए उन्हें शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन नहीं लेना होगा। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय viii के अनुसार क्यूआईपी निर्गम होने के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। "संगत तारीख" का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है।

प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

आबंटित किए गए ईक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे। इस उद्देश्य हेतु विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशक मंडल सूचना की संख्या 3 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

अन्य जानकारियां

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए शेयरधारक कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर बैंक के आरटीए लिंक इनटाइम प्रा.लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के आरटीए को भेजें।

qualified institutional buyers as defined by SEBI ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in No.3 of the Notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. for consolidation into single folio.

- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ईमेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त (डिमेंट) रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, जिसके साथ बैंक की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/डिपोजीटरी सहभागियों के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस प्रति, जिसमें ई-वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।
- सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट <https://www.obcindia.co.in> पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबारी समय के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, गुडगांव में उपलब्ध होंगी। ई-रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य भौतिक रूप में पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट को डाक द्वारा नि:शुल्क पाने के हकदार हैं लेकिन इसके लिए उनको बैंक की ई-मेल: mbd@obc.co.in या बैंक के आरटीए delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध करना होगा।
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2015-16 inter alia containing Notice of the 22nd Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2015-16 inter alia containing Notice of the 22nd Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank for FY 2015-16 will also be available on the Bank's website <https://www.obcindia.co.in> for download. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive Full Annual Report in physical form, upon making a request for the same, by post free of cost to the Bank's email id : mbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
 प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

प्रॉक्सी फार्म : ख

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	

मैं/हम.....राज्य.....जिले..... का/के निवासी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का/के शेयरधारक होने के नाते, गुरुवार 23 जून, 2016 को पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में होने वाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में और इसके किसी स्थगन पर मेरी/हमारी और मेरे/हमारे लिए मतदान करने हेतु मेरी/हमारी/प्रॉक्सी के रूप में श्री/श्रीमती..... निवासी.....जिला.....राज्य.....को और उनके ऐसा न करने पर श्री/श्रीमती.....निवासी..... जिला.....राज्य.....को एतद्वारा नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

दिनांक, 2016 को हस्ताक्षरित

कृपया रेवेन्यू
स्टैम्प चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम धारक/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश

1	कोई प्रॉक्सी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश क. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा किया जाएगा।
ख.	संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
ग.	निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत इसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा प्रपत्र ख में होगा तथा विधिवत् मुहरयुक्त होगा।
2	प्रॉक्सी प्रपत्र, किसी भी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होगा, जो किसी भी कारण से अपना नाम नहीं लिख सकता/सकती है, यदि उसकी टिप्पणी लगी हुई हो तथा उसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
3	प्रॉक्सी के साथ
क.	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा
ख.	उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति, जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले शनिवार 18 जून, 2016 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे अथवा इससे पहले ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय में जमा करवाया जाए।
4	प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म बी में नहीं होगा तथा विधिवत् मोहर लगा ना होगा।
5	बैंक के पास जमा प्रॉक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा।
6	यदि प्रॉक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्रॉक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7	जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस सामान्य वार्षिक बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
8	कोई व्यक्ति ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है।
9	प्रॉक्सी प्रपत्र में सभी संशोधन पूर्णतः अधिप्रमाणित होंगे।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

Oriental Bank of Commerce

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

PROXY FORM - B

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / Weresident/s of in the district of in the state of being a shareholder / shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri / Smt. resident of in the district of in the state of or failing him / her, Shri / Smt resident of in the district of in the state of as my / our proxy to vote for me / us on my / our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Thursday, June 23, 2016 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Delhi-110016 and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of.....2016

Please affix
Revenue Stamp

Signature of Proxy Signature of First holder / Sole holder

Name _____

Address _____

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1.	No instrument of proxy shall be valid unless
a.	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
b.	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing,
c.	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing, and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy, shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to right his/her name, if his/her remark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalized Bank.
3.	The proxy together with
a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office or Corporate Office of Oriental Bank of Commerce, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Saturday, the 18 th of June, 2016.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and fully stamped.
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the AGM to which such instrument relates.
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of ORIENTAL BANK OF COMMERCE.
9.	All alterations in the proxy Form shall be fully authenticated.



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
 प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

उपस्थिति पत्रक

(इसे परिसर में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक : 23 जून, 2016 समय : प्रातः 10.00 बजे स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)	(यदि शेयर अमूर्त है)
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

में, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, 4/2, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, पीएचडी हाउस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में 23 जून, 2016 को बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक आम बैठक में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
--

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव - 122001
 प्रवेश-पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

दिनांक : 23 जून, 2016 समय : प्रातः 10.00 बजे स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)	(यदि शेयर अमूर्त है)
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे परिसर में प्रवेश करते समय प्रवेश पत्र के साथ उपरोक्त उपस्थिति पर्ची को विधिवत् हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत करें जो बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप हो। प्रवेश जांच एवं पृष्ठताछ पर निर्भर है या जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक हॉल में प्रवेश के लिए डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास जारी नहीं किया जाएगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव - 122001
 (इसे मतपत्र जारी करने हेतु मतदान काउंटर पर प्रस्तुत किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)	(यदि शेयर अमूर्त है)
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

Oriental Bank of Commerce
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : June 23, 2016 Time : 10.00 a.m. Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID and Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder	(IN BLOCK LETTERS)		
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Authorised representative present			

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank held on June 23, 2016 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Delhi-110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative

Oriental Bank of Commerce
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 23, 2016 Time : 10.00 a.m. Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID and Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder	(IN BLOCK LETTERS)		
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Authorised representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representatives are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballet Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

Oriental Bank of Commerce
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001
(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID and Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder	(IN BLOCK LETTERS)		
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Authorised representative present			